"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 31 जनवरी 2017—— माघ 11, शक 1938

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-02/2017/18. —— छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 355 सहपठित धारा 338 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य नगरपालिका लेखा नियम 1971 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 148 में, शब्द एवं विराम चिन्ह "मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी यदि देयक पारित करने हेतु स्वयं सक्षम हो, उस पर आदेश देंगे वरना अपनी सिफारिश के साथ देयक अध्यक्ष को भेजेंगे." के स्थान पर, शब्द "मुख्य नगरपालिका अधिकारी देयक पर आदेश पारित करेंगे." प्रतिस्थापित किया जाये.

2. नियम 150 में,-

   (क) शब्द एवं चिन्ह "निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर प्ररूप 91 में निम्नांकित प्राधिकारियों द्वारा समाप्ति का प्रमाणपत्र अभिलिखित किया जायेगा :-" के स्थान पर, शब्द एवं चिन्ह "निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर प्ररूप क्र. 91 में मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा समाप्ति का प्रमाणपत्र अभिलिखित किया जायेगा :" प्रतिस्थापित किया जाये; और

   (ख) खण्ड (क), (ख) एवं (ग) का लोप किया जाये.

3. प्ररूप-91 में, शब्द एवं चिन्ह "सभापति लोक-निर्माण स्थायी समिति" जहां कहीं भी आया हो, का लोप किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2017

क्रमांक एफ 4-02/2017/18. —— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-02/2017/18, दिनांक 31-1-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 31st January 2017

NOTIFICATION

No. F 4-02/2017/18.— In exercise of the powers conferred by Section 355 read with Section 338 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government hereby, makes following further amendment in the Chhattisgarh Municipal Accounts Rules, 1971, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In rule 148, for the words and punctuation "The Chief Municipal Officer, if he is competent to pass the bill orders otherwise submit the bill to the President with his recommendation.", the words "The Chief Municipal Officer shall pass orders on the bill :" shall be substituted.

2. In rule 150,-

   (a) for the words and symbols "when a work is completed a final the completion certificate in Form No. 91 shall be recorded by the following authorities :-", the words and symbol "when a work is completed a final completion certificate in Form No. 91 shall be recorded by the Chief Municipal Officer :" shall be substituted; and

   (b) Clauses (a), (b) and (c) shall be omitted.

3. In Form-91 the words and symbols "Chairman of public Works/Standing Committee/", wherever they occur, shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.